कार्यालय :– प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम (म0प्र0)

//आदेश//

क्रमांक 413/दो–11–17/24 नर्मदापुरम,दिनांक 09/05/24

मैं, रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम कार्यविभाजन आदेश वर्ष 2024 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रतिस्थापित करता हूँ :–

अ– पेज क्रमांक 3 की कंडिका 3 प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम (श्री जफर इकबाल) के समक्ष कॉलम नंबर 4 की कंडिका 4 के पश्चात कंडिका 4–ए निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है :–

4–ए – **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008** की अनुसूची में विर्निदिष्ट किसी या समस्त अधिनियमितियों के अधीन अपराधों का विचारण। {मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 1976/21–ब(एक), भोपाल, दिनांक 08.05.2024}

ब– पेज क्रमांक 6 की कंडिका 10 तृतीय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, नर्मदापुरम (श्रीमती दिव्या मित्तल) के समक्ष कॉलम नंबर 3 (क्षेत्र) में वर्णित **''तहसील डोलरिया के समस्त ग्राम''** विलोपित किया जाता है।

स– पेज क्रमांक 06 की कंडिका 7 प्रथम सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, नर्मदापुरम **(श्रीमती प्रियंका रतौनिया सिंह)** के समक्ष कॉलम 3 (क्षेत्र) में **''तहसील डोलरिया के समस्त ग्राम''** प्रतिस्थापित किया जाता है।

द– पेज क्रमांक 6 की कंडिका 10 तृतीय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, नर्मदापुरम के पश्चात (पेज क्रमांक 7 पर) कंडिका 10–अ निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है :–

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	श्रवणाधिकार
10–अ	प्रथम सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, नर्मदापुरम के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, नर्मदापुरम (प्रशिक्षु न्यायाधीश) **(सुश्री अदिति मंडलोई)**	तहसील नर्मदापुरम, माखननगर एवं तहसील डोलरिया के समस्त ग्राम	कार्य जो समय–समय पर प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निराकरण हेतु सौंपा जावे।

इ– पेज क्रमांक 18 की कंडिका 33 के पश्चात कंडिका 33–अ प्रथम सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, पिपरिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, पिपरिया **(सुश्री अदिति मंडलोई)** को विलोपित की जाती है।

फ– आवश्यक कार्य के निराकरण संबंधी चार्ट में पेज क्रमांक 22 की कंडिका 33 को विलोपित की जाकर, पेज क्रमांक 22 की कंडिका 24 के पश्चात कंडिका 24–ए निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है :–

क्र.	**अवकाश पर रहने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम**	**कॉलम नं0 2 के न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर रहने पर**	**कॉलम नं0 2 एवं 3 के न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर रहने पर**	**कॉलम नं0 2,3 व 4 के न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर रहने पर**
1	2	3	4	5
24–ए	प्रथम सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, नर्मदापुरम के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, नर्मदापुरम	प्रथम सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, नर्मदापुरम के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, नर्मदापुरम	प्रथम सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, नर्मदापुरम	द्वितीय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, नर्मदापुरम

5.5.2021

(रामकुमार चौबे)
प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नर्मदापुरम (म0प्र0)

पृ0 क. 1595/सां0लि0/2024 नर्मदापुरम,दिनांक 08/05/24

कार्यविभाजन पत्रक 2024 में आंशिक संशोधन की प्रतिलिपि :–

01– रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
02– समस्त न्यायिक अधिकारीगण, जिला स्थापना, नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनी मालवा/सोहागपुर/पिपरिया
03– अध्यक्ष/सचिव अधिवक्ता संघ, नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनी मालवा/सोहागपुर/पिपरिया
04– प्रस्तुतकार सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम
05– पंजीयन लिपिक, नर्मदापुरम

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वास्ते – प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नर्मदापुरम (म0प्र0)